न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2016/19 दर्ज तिथि:– 13.04.2016

1. सबीर पुत्र स्व. रमज्यान उर्फ रमज्यान उर्फ ज्यानी जाति तैली वार्ड नं. 06 निवासी चूरू
2. गन्नी आयु पुत्र स्व. रमज्यान उर्फ ज्यानी वार्ड नं. 06 निवासी चूरू।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मी दुखतर स्व. परतु जाति गुर्जर सेठाणी जोहड़ा के पास निवासीगण चूरू तहसील व जिला चूरू
2. ऑंकार पुत्रगण स्व. परतु निवासी सेठाणी जलोहड़ा के पास निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू
3. वांवर परतु निवासी चूरू तहसील वा जिला चूरू

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:– अब्दुल गफार
अप्रार्थीगणः– अप्रार्थी संख्या 01 व 03 रामकिशन शर्मा शर्मा अधिनियम 1955

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि कसबा चूरू स्थित खेत खसरा संख्या 2468 /97 तादादी 13 बीघा 14 बिश्वा साबीर पुत्र पुत्र रमज्यान उर्फ ज्यानी, बन्नी पुत्र रमज्यान उर्फ ज्यानी, इमामुदीन पुत्र रमज्यान उर्फ ज्यानी, जुबेदा बेवाह इब्राहिम याकुब पुत्र इब्राहित जाति तेली निवासीगण चूरू के नाम खातेदारी, कब्जा, उपयोग का कनी नकल जामबंदी नक्शा पैश किये दावा अनुवानी साबिर आदि बनाम लक्ष्मी आदि आज्ञादायी स्थाई व्यादेश हेतु में पेश किया है। जिसमें इन खातेदारान में इमामुदीन का 07.06.15 को स्वर्गवास होने से उनके वारिसान मुताबिक कुर्सीनामा दावा सभी खातेदारन के हितार्थ समस्त तथ्यों सहित पेश किया है सिमें लिखे कथनों से दावा बहक आवेदकण व उनके साथी गौण प्रति के ह कमे डिक्री होन वाला है मगर दौराने दावा स्थिति मे बदलाव अनावेदकगण द्वारा न कर दिया जावे और दावा के विचारण में बाधा ना आ जावे इसलिएये यह आवेदन पत्र आज्ञादायी अस्थाई व्यादेश के लिए दौराने दावा हेतु पेश की जा रही है। नकुलात मुताबिक सूची पेश किये जा रहे है जिसमे नथ्श एनेक्चर ऐक्स में माकर्क एबीसीडीईएफ जी भूमि अवोदकगण के वादगत खेत ख. नं. 2468/97 की 13–14 बीघा है– वोह मी पेश किया जाता है।
2. 2. यह कि आवेदकगण वा गौण प्रति 5 ता 12 के वादगत बाबत अनावेदकगण का किसी तरह का कोई अधिकार न होते हुये उ... खेत में प्रवेश करने, भूमि दबाने, खड़े पेड़ व उपज ले जाने वा सामान ले ... तथ... द के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाने की कुचेष्टा होने ... साफ अनावेदकगण ने कह दिया कि वोह जब भी मौका ... प्रवेश करेंगे अतः आ... को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:48 IST
Reason: SelfAttested

होने वाले इस खतरा व खून खराबा से बचने के लिएये न्यायलयवाला के सम्मुख आज्ञादायी स्थाई व्यादेश का दावा आवेदकगण अपनी और से खुद के लिएये व सहखतेकारान गौण प्रतिवादीगण के हितार्थ पेश किया जिसमें लिखे कथनों से दावा आवेदकगण के हक में डिक्री होने वाला है– अतः दौराने दावा कोई स्थिति में तबदीली ना हो व सुनवाई मं बाधा ना हो वा किसी तरह आवेदगण को नुकासान ना हो इसके लिए आवनेद पत्र लाये है।

3. यह कि वादगत पर अनावेदकगण का सिी तरह खातेदारी अधिकार, कब्जा, उपभोग न होकर आवेदकण व सहखातेदारान गौण प्रतिः का ही कब्जा, उपभोग, उपयोग, अधिकार, खातेदारी अधिकार है जिस बाबत लिखित रिकॉर्ड है– फलस्वरूप प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा सन्लन आवेदकगण के पक्ष में है और ऐसी स्थिति में अनावेदकगण अपने जाज अधिकारों से वंचित रह जावेंगे और अपूर्तीय आवेदकगण को ही होगी।

अतः दरखास्त मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि स्वीकार की जावे व ता फैसला दावा जरिये अस्थाई आज्ञादायी व्यादेश अनावेदकगण को पाबन्द किया जावे कि वोह बादगत खेत खसरा नम्बर 2468/97 की मार्क एबीसीडीईएफ जी के घेराव की 16–14 बीघा भूमि कसबाा चूरू में किसी तरह प्रवेश न करे, न सामान, फसल लेजावे न कोई किसी तरह का समान खुद डाने न किसी से डलवावे, न निर्माण करे वा ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे या करावे कि जिससे आवेदकगण को किसी तरह से नुकसान हो वा आवेदकगण के जायज हको पर विपरीत असर पड़े वा अगर अनावेदकगण द्वारा ऐसा गलत कृत्य कर लिया जाता है यानि कोई सामान किसी तरह का खुद या किसी से डलवा दिया जाता है निर्माण कराया जाता है, कोई सामान फसल पेड़ आदि अवोदकगण का ले जाया जाता है, अनधिकृत प्रवेश कर लिया जाता है वा किसी तरह नुकसान कर दिया जाता है तो न्यायालय आदेश देते हवे उन किये हुवो को हटवाया जावे व होन वाले नुकसान दिलवाया जावे, आपकी अत कृपा होगी।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया व दिनांक 13.04.2016 को वादगत कृषि भूमि की यथा थिति बनाये रखने का अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से अधिवक्ता रामकिशन शर्मा उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 02 पर विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इनका जवाब बंद किया गया। तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बसह सुनी गई। बहस सनुी जाकर राजस्व रिकॉर्ड की नवीनतम जमा बंदी का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त कि उक्त भूमि का ना तो वर्तमान खसरा है तथा ना ही प्रार्थना–पत्र में अंकित खातेदार है

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन किया गया, प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों की नवीनतम जमाबंदी का परीक्षण किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि कसबा चूरू स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2468/97 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा में प्रार्थीगण एवं उनके सहखातेदारों का खातेदारी, कब्जा एवं उपयोग चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण का [illegible] पर किसी प्रकार का कोई खातेदारी या कब्जाधिकार नहीं है। यह भी [illegible] कि [illegible] वादग्रस्त भूमि में प्रवेश कर फसल, पेड़ व अन्य सामान ले [illegible] स्थिति में परिवर्तन होने तथा शान्ति भंग होने की आशंका है। इसी आधार पर [illegible] द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना की गई। प्रकरण में दिनांक 13.04.2016 को न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया था। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 03 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, किन्तु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर उनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थिति नहीं होने के कारण उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचारण हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2468/97 के संबंध में वर्तमान राजस्व अभिलेखों में न तो प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित है और न ही प्रार्थना–पत्र में वर्णित खातेदारों के नाम वर्तमान में दर्ज पाए गए हैं। साथ ही, वादग्रस्त भूमि का वर्तमान खसरा अस्तित्व में होना भी राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता।

धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पक्ष को अन्तरिम संरक्षण प्रदान किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह पक्ष प्रथम दृष्टया अपने खातेदारी अथवा कब्जे का अधिकार राजस्व अभिलेखों के माध्यम से सिद्ध करे। मात्र कथनों के आधार पर, जबकि राजस्व रिकॉर्ड से खातेदारी या कब्जा प्रमाणित न हो, अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी रखना विधिसंगत नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, उपलब्ध अभिलेखों एवं राजस्व रिकॉर्ड के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया ऐसा मामला स्थापित नहीं कर पाए हैं, जिसके आधार पर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्तरिम आदेश को आगे जारी रखा जाना न्यायोचित हो।

आदेश है कि

प्रार्थीगण द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत किया जाता है। दिनांक 13.04.2016 को पारित यथास्थिति बनाये रखने का अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है। प्रार्थीगण को यह स्वतंत्रता रहेगी कि वे सक्षम विधिक मंच पर, आवश्यक पक्षकारों को सम्मिलित करते हुए एवं उपयुक्त राजस्व रिकॉर्ड के साथ, विधि अनुसार अपने अधिकारों के निर्धारण हेतु कार्यवाही कर सकें।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:48 IST
Reason: SelfAttested